

सेवा में,
श्रीमान् आयुक्त महोदय,
नगर निगम, जोधपुर।

विषय :- सीवर लाइन से कनेक्शन हेतु ।

महोदय,

विषयान्तर्गत निवेदन है कि मैं अपने स्वामित्व वाले मकान में सीवर कनेक्शन लेना चाहता हूँ। इस हेतु निम्न प्रकार से विवरण है :

1. आवेदक का नाम :.....
2. पिता का नाम :.....
3. स्थायी पता :.....
4. सीवर कनेक्शन जिस मकान में लेना चाहते हैं उस का विवरण मय पता :.....

स्वामित्व संबंधी विवरण :.....

क्या आप किरायेदार है :.....

जिस स्थान से सीवर लाइन कनेक्शन लेना चाहते हैं उस स्थान से मुख्य हौदी तक आर.यू.आई.डी.पी. द्वारा पाइप डाल दिया गया है। हाँ/नहीं

क्या शौचालय का निर्माण हो हुका है। हाँ/नहीं

क्या कोई न्यायिक विवाद है। हाँ/नहीं

कृपया निम्नानुसार राशि जमा कर सीवर कनेक्शन करने की स्वीकृति प्रदान करावें।

आवेदक के हस्ताक्षर

विभागीय उपयोग हेतु

तकनीकी राय

सीवर कनेक्शन हेतु रूपये 250/- एवं जमानत राशि रूपये 200/-

कुल रूपये 450/- जमा कराने की राय के साथ प्रेषित है।

कनिष्ठ अभियंता

स्वीकृति दी जाती है।

आयुक्त

1. सीवर कनेक्शन लेने हेतु रूपये 250/- अक्षरे रूपये दो सौ पचास जरिये रसीद संख्या.....
दिनांक.....जमा किये गये।
2. सीवर कनेक्शन हेतु रूपये 200/- अक्षरे रूपये दो सौ जरिये रसीद संख्या.....दिनांक
वास्ते अमानत राशि स्वरूप जमा किये गये।

रोकड़पाल